भारत सरकार

कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3476

उत्तर देने की तारीख - 11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

उत्तर प्रदेश के लिए कौशल ॠण योजना

†3476. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कौशल ॠण योजना के अंतर्गत ॠण सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत ॠण की संख्या और जारी की गई राशि का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में ॠण पुनर्भुगतान में हुई चूक की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ॠण में चूक के लिए जारी की गई ॠण गारंटी की राशि का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या संशोधित आदर्श ॠण योजना लागू है और यदि हाँ, तो उक्त योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का जिलावार, वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्‌यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने दिनांक 10 जुलाई 2015 को अपने सदस्य बैंकों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रमों हेतु ऋण प्रदान करते समय कौशल ऋण योजना अपनाने हेतु इसे परिचालित की थी। कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने दिनांक 10 नवंबर 2015 को कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि स्कीम (सीजीएफएसएसडी) अधिसूचित की, ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्‌वारा चूक की राशि के 75% की सीमा तक कौशल ऋण स्कीम को गारंटी कवर प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) ऋण गारंटी निधि का प्रबंधन और संचालन करती है।

स्कीम के दायरे को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षुओं/उम्मीदवारों को बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च-स्तरीय पाठ्‌यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करने के लिए, सीजीएफएसएसडी को दिनांक 9 जुलाई 2024 को संशोधित और अधिसूचित किया गया था। संशोधित सीजीएफएसएसडी में अन्य बातों के साथ साथ प्रमुख बदलावों में अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करना, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्‌ध) के माध्यम से संचालित उन पाठ्‌यक्रमों को शामिल करना, जो एनएसक्यूएफ के अनुरूप नहीं हैं और एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई और लघु वित्त बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में जोड़ना शामिल है।

उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी को शुरू किए जाने से लेकर दिनांक दिनांक 31.07.2025 तक कवर किए गए ऋणों की संख्या और स्वीकृत राशि का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी के अंतर्गत एनपीए हो चुके ऋण खातों और निपटाए गए गारंटी दावों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा प्रारंभ से दिनांक 31.07.2025 तक **अनुबंध-II** में दिया गया है।

संशोधन के बाद से दिनांक 31.07.2025 तक उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी के तहत स्वीकृत ऋण की संख्या और राशि का श्रेणी-वार और जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

'उत्तर प्रदेश के लिए कौशल ऋण योजना' के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3476 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी के अंतर्गत स्थापना से लेकर दिनांक 31.07.2025 तक स्वीकृत वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार ऋणों की संख्या एवं धनराशि

	गारंटीकृत ऋण खातों की संख्या				**गारंटीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)**			
वित्तीय वर्ष	**सामान्य**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**सामान्य**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
2016- 17	23	36	10	1	15.91	18.25	5.63	0.50
2017-18	27	2	3	0	27.70	1.88	3.82	0.00
2018-19	28	8	3	0	34.80	10.79	3.72	0.00
2019-20	36	12	3	0	46.70	15.97	3.75	0.00
2020-21	15	3	2	0	19.73	4.00	2.15	0.00
2021-22	4	2	0	0	4.76	2.80	0.00	0.00
2022-23	15	9	3	0	17.80	8.97	2.27	0.00
2023-24	6	2	1	0	7.27	1.55	1.25	0.00
2024-25	13	6	1	0	10.34	5.72	0.45	0.00
2025-26(31.07.2025 तक)	4	1	0	0	1.83	4.00	0.00	0.00
कुल	**171**	**81**	**26**	**1**	**186.84**	**73.93**	**23.04**	**0.50**

अनुबंध- II

उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी के अंतर्गत स्थापना से लेकर दिनांक 31.07.2025 तक निपटाए गए एनपीए हो गए ऋण खाते तथा गारंटी दावों का वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	एनपीए बने खातों की संख्या				राशि (लाख रुपये में)			
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2016-17	9	23	7	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	3	1	1	0	0.00	0.00	1.23	0.00
2018-19	7	3	2	0	3.57	2.39	2.55	0.00
2019-20	16	4	3	0	11.51	3.66	2.86	0.00
2020-21	6	0	0	0	2.44	0.00	0.00	0.00
2022-23	1	2	0	0	0.54	0.54	0.00	0.00
2023-24	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**42**	**34**	**13**	**1**	**18.06**	**6.59**	**6.65**	**0.00**

अनुबंध- III

संशोधन के बाद से दिनांक 31.07.2025 तक उत्तर प्रदेश में सीजीएफएसएसडी के तहत स्वीकृत श्रेणी-वार और जिला-वार ऋण की और धनराशि की संख्या

उत्तर प्रदेश के जिले	**गारंटीकृत ऋण खातों की संख्या**				**गारंटीकृत ऋण राशि (लाख रुपये में)**			
	सामान्य	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**सामान्य**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
बागपत	1	0	0	0	150.0	0.0	0.0	0.0
बलिया	1	1	0	0	60.0	139.7	0.0	0.0
बढ़ायूँ	1	0	0	0	36.0	0.0	0.0	0.0
देवरिया	1	0	0	0	40.0	0.0	0.0	0.0
फतेहपुर	1	0	0	0	37.0	0.0	0.0	0.0
गाजियाबाद	3	0	0	0	245.9	0.0	0.0	0.0
गाजीपुर	1	0	0	0	50.0	0.0	0.0	0.0
झांसी	0	0	1	0	0.0	0.0	45.0	0.0
कानपुर नगर	1	0	0	0	36.0	0.0	0.0	0.0
कासगंज (कांशीराम नगर)	0	1	0	0	0.0	32.0	0.0	0.0
लखनऊ	1	1	0	0	36.0	120.0	0.0	0.0
मेरठ	2	0	0	0	120.0	0.0	0.0	0.0
मुरादाबाद	1	1	0	0	60.0	150.0	0.0	0.0
प्रतापगढ़	0	1	0	0	0.0	400.0	0.0	0.0
सोनभद्र	0	1	0	0	0.0	60.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	**14**	**6**	**1**	**0**	**870.9**	**901.7**	**45.0**	**0.0**

*****